

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक: एफ 28( )परावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ./ए.सी.पी./जयपुर संभा/2018/582 जयपुर, दिनांक: 27/03/20

::: आदेश :::

श्री विनोद कुमार, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं की प्रथम नियुक्ति दिनांक 18.11.1999 के अनुसार इनकी 18 वर्ष की सन्तोषप्रद सेवायें दिनांक 18.11.2017 को पूर्ण होने पर इन्हें राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के नियम 14 व परिशिष्ट-VI के तहत पे मेट्रिक्स की लेवल 11 में द्वितीय ए.सी.पी. स्वीकृत की जाती है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


आज्ञा से,



(अनुप्रेरणा सिंह कुन्तल)  
अतिरिक्त आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव (II)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद झुन्झुनूं को उनके पत्र क्रमांक 1029 दिनांक 24.02.2020 के क्रम में श्री विनोद कुमार की सेवापुस्तिका (सजिल्द-एक) व अन्य पत्रादि की प्रतियाँ संलग्न कर भिजवाते हुए लेख है कि इनकी सेवापुस्तिका में पूर्व में किये गये वेतन नियतनों की विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के परिप्रेक्ष्य में जाँच करते हुए ए.सी.पी. स्वीकृति के क्रम में नियमानुसार वेतन नियतन की कार्यवाही करावें।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं।
4. श्री विनोद कुमार, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं।
5. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।



अतिरिक्त आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव (II)